an>

Title: Need to give more power to Panchayat members.

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): अध्यक्ष महोदया, भारत की प्रजातांत्रिक प्रणाली में स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। एक सदन लोक सभा का है, एक राज्य सभा का है, एक सदन विधान सभा और विधान परिषद् का है और एक सदन जो ग्राम स्वराज में गाँव सभा की ईकाइयों का है, सबकी अपनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है और सबका अपना-अपना उत्तरदायित्व है चाहे वह लोक सभा के सदस्य के रूप में हो या विधान सभा के सदस्य के रूप में हो या गाँव सभा के मुखिया के रूप में हो। लेकिन एक ईकाई क्षेत्र पंचायत की है जिस क्षेत्र पंचायत का चुनाव 3000 के ऊपर की आबादी का होता है, उन्हें केवल ब्लाक प्रमुख या मुखिया के वोट देने के सिवाय, न उनकी कोई सहभागिता है, न उनका कोई उत्तरदायित्व है। मैं समझता हूँ कि इस पर पूरा सदन सहमत होगा कि क्षेत्र पंचायत ईकाई जो है, उसके सदस्यों की भी कोई भूमिका होनी चाहिए, यह मांग मैं आपके माध्यम से करता हूँ।

माननीय अध्यक्ष : सौगत राय जी, आपने विषय बदल दिया है तो बोलिये। एक मिनट में अपनी बात रखिये। ज्यादा समय न लें।

प्रो. सौगत राय (दमदम) : मैडम, मेरा तो नाम आया था।

माननीय अध्यक्ष : मुझे मालूम है, लेकिन सब्जैक्ट दूसरा था।